



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 116-2021/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JULY 20, 2021 (ASADHA 29, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

प्रशासकीय सुधार विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 जुलाई, 2021

संख्या 7/31/2014.ए०आर०.— हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए0आर0, दिनांक 15 फरवरी, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए0आर0, दिनांक 15 फरवरी, 2016 में, अनुसूची में, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, क्रम संख्या 338 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :-

339	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम	शिक्षा ऋण स्कीम (एन0एस0एफ0डी0सी0 / एन0एस0के0एफ0डी0सी0 के अधीन)	135 दिन	संबंधित जिलों का जिला प्रबंधक	वरिष्ठ लेखा अधिकारी, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम	प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम
340	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम	ग्रीन बिजनस स्कीम (ई-रिक्शा, संपीड़ित वायु वाहन, सौर उर्जा गैजेट्स, पोली हाउस) (एन0एस0एफ0डी0सी0 के अधीन)	135 दिन	संबंधित जिलों का जिला प्रबंधक	वरिष्ठ लेखा अधिकारी, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम	प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम
341	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम	लघु व्यवसाय योजना (एन0एस0एफ0डी0सी0 के अधीन)	180 दिन	संबंधित जिलों का जिला प्रबंधक	वरिष्ठ लेखा अधिकारी, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम	प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम

342	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम	महिला अधिकारिता योजना (एन0एस0एफ0डी0सी0 के अधीन)	135 दिन	संबंधित जिलों का जिला प्रबंधक	वरिष्ठ लेखा अधिकारी, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम	प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम
343	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम	महिला किसान योजना (केवल महिला लाभार्थियों के लिये स्वरोजगार आय सृजन योजनायें) (एन0एस0के0एफ0डी0सी0 के अधीन)	135 दिन	संबंधित जिलों का जिला प्रबंधक	वरिष्ठ लेखा अधिकारी, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम	प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम
344	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम	महिला समृद्धि योजना (केवल महिला लाभार्थियों के लिये स्वरोजगार आय सृजन योजनायें) (एन0एस0एफ0डी0सी0 / एन0एस0के0एफ0डी0सी0 के अधीन)	135 दिन	संबंधित जिलों का जिला प्रबंधक	वरिष्ठ लेखा अधिकारी, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम	प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम
345	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम	सूक्ष्म ऋण योजना (स्वरोजगार आय सृजन योजनाओं के लिये) (एन0एस0एफ0डी0सी0 / एन0एस0के0एफ0डी0सी0 के अधीन)	135 दिन	संबंधित जिलों का जिला प्रबंधक	वरिष्ठ लेखा अधिकारी, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम	प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम
346	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम	शिल्पी समृद्धि योजना (ऋण का प्रदान अनुसूचित जाति के कारीगरों जिसके पास विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये कारीगर पहचान पत्र हो) (एन0एस0के0एफ0डी0सी0 के अधीन)	135 दिन	संबंधित जिलों का जिला प्रबंधक	वरिष्ठ लेखा अधिकारी, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम	प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम
347	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम	मियादी ऋण (स्वरोजगार आय सृजन योजनाओं के लिये) (एन0एस0एफ0डी0सी0 / एन0एस0के0एफ0डी0सी0 के अधीन)	180 दिन	संबंधित जिलों का जिला प्रबंधक	वरिष्ठ लेखा अधिकारी, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम	प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम ।”

विजय वर्धन,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT**ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT****Notification**

The 20th July, 2021

No. 7/31/2014-3AR.— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana, on the recommendation of the Commission, hereby makes the following amendment in Haryana Government, Administrative Reforms Department, notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 15th February, 2016, namely:-

Amendment

In Haryana Government, Administrative Reforms Department, notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 15th February, 2016, in the Schedule, under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, after serial number 338 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be added, namely :-

“339	Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation	Education Loan Scheme (under NSFDE/NSKFDC)	135 days	District Manager of concerned District	Sr. Accounts Officer, HSFDC	Managing Director, HSFDC
340	Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation	Green Business Scheme (e-rickshaw, compressed air vehicle, Solar energy gadgets and poly houses) (under NSFDC)	135 days	District Manager of concerned District	Sr. Accounts Officer	Managing Director, HSFDC
341	Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation	Laghu Vyavasay Yojana (under NSFDC)	180 days	District Manager of concerned District	Sr. Accounts Officer	Managing Director, HSFDC
342	Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation	Mahila Adhikarita Yojana (under NSFDC)	135 days	District Manager of concerned District	Sr. Accounts Officer	Managing Director, HSFDC
343	Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation	Mahila Kisan Yojana (for Self Employment Income Generating Schemes relating to Agriculture and Allied Sector) only for women beneficiaries (under NSKFDC)	135 days	District Manager of concerned District	Sr. Accounts Officer	Managing Director, HSFDC
344	Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation	Mahila Samridhi Yojana (for Self Employment Income Generating Schemes only for women beneficiaries) (under NSFDC/NSKFDC)	135 days	District Manager of concerned District	Sr. Accounts Officer	Managing Director, HSFDC
345	Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation	Micro Credit Finance (for Self Employment Income Generating Schemes) (under NSFDC/NSKFDC)	135 days	District Manager of concerned District	Sr. Accounts Officer	Managing Director, HSFDC

346	Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation	Shilpi Samridhi Yojana (Loans are provided to Scheduled Castes Artisans possessing Artisan Identity Card issued by the Development Commissioner (Handicrafts), Ministry of Textile, Govt. of India or State Govt.) (under NSKFDC)	135 days	District Manager of concerned District	Sr. Accounts Officer	Managing Director, HSFDC
347	Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation	Team Loan (for Self Employment Income Generating Schemes) (under NSFDC/ NSKFDC	180 days	District Manager of concerned District	Sr. Accounts Officer	Managing Director, HSFDC".

VIJAI VARDHAN,
Chief Secretary to Government, Haryana.